

कार्यालय नगर पालिका परिषद सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.)



Email ID cmosihora@mpurban.gov.in फोन नं. 07624 - 230440,230030

क्रं./न.पा./2025-2026/PWD/4971

सिहोरा दिनांक 03/12/25

// ई- निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सिहोरा क्षेत्रान्तर्गत ई- टेण्डर के माध्यम से मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से अधोलिखित विवरण अनुसार यू.ए.डी.डी के प्रचलित दर अनुसूची दिनांक 02 अगस्त 2021 से प्रभावी अद्यतन आई.एस.एस.आर के अनुसार कम/ अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा क्रमांक	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि (रु.में)	धरोहर राशि (रु. में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि
2025_UAD_465818_1	स्मार्ट फिश पार्लर वार्ड क्रमांक 17 में खितौला सकरी के पास निर्माण कार्य	372280.00/-	4000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	6 माह
2025_UAD_465821_1	स्मार्ट फिश पार्लर वार्ड क्रमांक 01 में मनसकरा निर्माण कार्य	372280.00/-	4000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	6 माह
2025_UAD_445822_1	वार्ड क्रमांक 04 में बल्ले मोर मंदिर के पास रंगमंच निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	295844.38/-	3000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	3 माह

- शर्तें :-
1. निविदा प्रपत्र वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।।
 2. ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 04/12/2025 समय सायं 5.00 बजे से दिनांक 22/12/2025 सायं 6.00 बजे तक खरीदे जा सकेगे।
 3. ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक. 22/12/2025 सायं 6.00 बजे तक है।
 4. अमानत राशि,हार्ड कापी केवल ऑनलाईन मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 26/12/2025 को खोली जावेगी।
 5. टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा-
 - अ अमानत राशि (EMD)
 - ब निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार
 - स पेन नम्बर एवं जी.एस.टी न.
 - द लो.नि.वि.(PWD) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 6. टेण्डर फार्म के अनुसा टेक्नीकल बिड दस्तावेज।
 7. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं जावेगी।
 8. कार्य की गुणवत्ता सर्वोपरी होगी। कार्य समय सीमा पर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 9. निविदा के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद सिहोरा के पास सुरक्षित होंगे।
 10. निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 11. निविदा में जी.एस.टी छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी का भुगतान पृथक से देयक होगा।
 12. धरोहर राशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही मान्य किये जावेगी। बिना धरोहर राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
 13. निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के संविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप - 05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेके निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
 14. निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/ दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
 15. शासन से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त निकाय को वहन करने वाली राशि निकाय में यथा समय राशि की उपलब्धता होने पर ही भुगतान किया जावेगा। जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
 16. निकाय के द्वारा दिये गये तकनीकी सुझाव निविदाकार के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे।
 17. अतिरिक्त जानकारी वेबसाईट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है। या कार्यालय नगर पालिका परिषद सिहोरा में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
- नोट/ अन्य शर्तें
1. निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा। समाचार पत्रों में नहीं।
 2. निविदाकार को ई.पी.एफ का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
 3. निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

शैलेन्द्र कुमार

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिहोरा



// ई - निविदा आमंत्रण सूचना //

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद सिहोरा क्षेत्रान्तर्गत ई- टेण्डर के माध्यम से मरम्मत एवं निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में केन्द्रीकृत पंजीयन प्रणाली में सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदार से अधोलिखित विवरण अनुसार यू.ए.डी.डी के प्रचलित दर अनुसार सूची दिनांक 02 अगस्त 2021 से प्रभावी अद्यतन आई.एस.एस.आर के अनुसार कम/ अधिक प्रतिशत दर पर ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र	कार्य का नाम एवं विवरण	प्राक्कलन राशि Gst सहित	धरोहर राशि (रु.में)	निविदा फार्म का शुल्क	श्रेणी	समयावधि
1	स्मार्ट फिश पार्लर वार्ड क्रमांक 17 में खितौला सकरी के पास निर्माण कार्य	4,45,000/-	4000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	3 माह
2	स्मार्ट फिश पार्लर वार्ड क्रमांक 01 में मनसकरा निर्माण कार्य	4,45,000/-	4000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	3 माह
3	वार्ड क्रमांक 04 में बल्ले मोर मंदिर के पास रंगमंच निर्माण कार्य (द्वितीय निविदा)	3,49,096/-	3000/-	2000/-	New PWD Reg. A Class electrical / A Class MPEB electrical reg.	3 माह

- शर्त :- 1. निविदा प्रपत्र वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।।
 - ऑनलाईन निविदा प्रपत्र दिनांक 04/12/2025 समय सायं 5.00 बजे से दिनांक 22/12/2025 सायं 6.00 बजे तक खरीदे जा सकेंगे।
 - ऑनलाईन बिड सबमिट करने की अंतिम तिथि दिनांक. 22/12/2025 सायं 6.00 बजे तक है।
 - अमानत राशि, हार्ड कापी केवल ऑनलाईन मान्य की जावेगी। निविदा दिनांक 26/12/2025 को खोली जावेगी।
 - टेण्डर फार्म-ए में ठेकेदार को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा-
 - अ अमानत राशि (EMD)
 - ब निर्धारित शपथ पत्र (Affidavit) नवीन प्रारूप अनुसार
 - स पेन नम्बर एवं जी.एस.टी न.
 - द लो.नि.वि.(PWD) का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
 - टेण्डर फार्म के अनुसा टेक्नीकल बिड दस्तावेज।
 - सशर्त निविदा स्वीकार नहीं जावेगी।
 - कार्य की गुणवत्ता सर्वोपरी होगी। कार्य समय सीमा पर किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 - निविदा के समस्त अधिकार नगर पालिका परिषद सिहोरा के पास सुरक्षित होंगे।
 - निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं शासन के समस्त नियमों एवं निविदा शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - निविदा में जी.एस.टी छोड़कर समस्त करों की कटौती नियमानुसार की जावेगी एवं प्रत्येक देयक के साथ जी.एस.टी का भुगतान पृथक से देयक होगा।
 - धरोहर राशि ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से चालान द्वारा/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही मान्य किये जावेगी। बिना धरोहर राशि जमा किए निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
 - निविदाकार को दर स्वीकृति उपरांत जिला श्रमपदाधिकारी के पास श्रम आयुक्त के सविदा श्रमिक (विनियम एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अंतर्गत प्रारूप - 05 तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ठेकेदार के उक्त पंजीयन निकाय में जमा कराकर अनुबंध संपादित किया जावेगा। पंजीयन निर्धारित अवधि में जमा न होने पर ठेके निरस्त की कार्यवाही की जावेगी।
 - निविदा प्रपत्र अनुबंध का एक भाग होगा एवं ऐसी अन्य समस्त नियम एवं शर्तें तथा किसी भी विवाद की स्थिति में जो की उल्लेखित नहीं है के संबंध में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश/ दिशा निर्देश अंतिम एवं मान्य होंगे।
 - शासन से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त निकाय को वहन करने वाली राशि निकाय में यथा समय राशि की उपलब्धता होने पर ही भुगतान किया जावेगा। जिसे निविदाकार को मान्य करना होगा।
 - निकाय के द्वारा दिये गये तकनीकी सुझाव निविदाकार के लिए बंधनकारी एवं मान्य होंगे।
 - अतिरिक्त जानकारी वेबसाइट <https://www.mptenders.gov.in> पर टेण्डर डाक्यूमेंट पर देखी जा सकती है। या कार्यालय नगर पालिका परिषद सिहोरा में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।
- नोट/ अन्य शर्तें
- निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन की स्थिति में केवल ऑनलाईन संशोधन किया जावेगा। समाचार पत्रों में नहीं।
 - निविदाकार को ई.पी.एफ का पंजीयन प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार लेबर विभाग का पंजीयन प्रमाण दर स्वीकृति उपरांत देना अनिवार्य होगा। Cost Escalation Clause लागू नहीं होगा।

Buwal

शैलेन्द्र कुमार

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद सिहोरा